फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कान्ता बनाम **श्रवणकुमार**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 7288/00328 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
14.06.2019	प्रार्थी की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा ढाणी राईकान में खसरा न0 665 की 6.3230हैक्ट , 1042 की 5.0710हैक्ट कुल 11.3940हैक्ट भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 27.08.2019 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
27/8/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्य [illegible] पत्रावली दि. 30/10/19 को पेश हो। [illegible] तलबी [initials]	
6/9/19	~~वकील वादिया व स्वयं वादिया के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई दोनों के निवेदन किया [illegible] आपस में राजीनामा हो गया है वादिया वाद नहीं चलाना चाहती [illegible] वादिया के [illegible] वाद नहीं चलाने के कारण वाद वादिया खारिज किया जाकर पत्रावली [illegible] दफ्तर हो आदेश [illegible] सुनाया गया।~~ [signature]	कान्ता [illegible] [signature]

Scanned with CamScanner